सं0-41/2024/001-502-23-12-2024-23-12099-099-33-2023

प्रेषक

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 12-08-2024

विषय- इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती,बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के द्वितीय चरण के कार्यो के लिये वन/वन्य जीव क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु परिवेश पोर्टल पर आन-लाईन डाटा अपलोड करने से संबंधित चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-9018/सीई-एचक्यू-1/आई0एन0बी0/इण्डो/2024-25, दिनांक 05.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,बहराईच, श्रावस्ती,बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के द्वितीय चरण के कार्यो के लिये वन/वन्य जीव क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु परिवेश पोर्टल पर आन-लाईन डाटा/प्रस्ताव अपलोड अपलोड कराने हेतु चालू कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 9.10 लाख (रू0 नौ लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	मूल स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	दिनांक 31.03.24 तक व्यय	दि0 01.04.2024 को अवशेष धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून तक व्यय	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मांग	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत,लखीमपुर खीरी,बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर एवं महराजगंज के द्वितीय चरण के कार्यो के लिये वन/वन्य जीव क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु परिवेश पोर्टल पर आन-लाईन डाटा अपलोड कराने का कार्य	नि0ख0-3 (इण्डो नेपाल बार्डर) बहराईच	शा0 सं0-69/2023/002-1492-23-12-2023-23-12099-099-33-2023 दि0 13.12.2023	20.178	5.048	15.130	0.000	9.100	9.100
			योग	**20.178**	**5.048**	**15.130**	**0.000**	**9.100**	**9.100**

नियम व शर्तें

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/जमा खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 9.10 लाख (रूपये नौ लाख 10 हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखाशीर्षक-5054043370700 इन्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-ई-8-71-एक्स-2024-25, दिनांक 09-08-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

संख्या-41/2024/ 001-502(1)/23-12-2024-23-12099-099-33-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. लोक निर्माण अनु0-10/11
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12. डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।